संख्या-02/2016/आर-3803/26-3-2015-14(33)/2005

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 जनवरी, 2016

विषयः एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा-खीरी को पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात देय धनराशि (नान रिकरिंग ग्रांट) रूपया-10.00 लाख के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, के पत्रांक-11015/16(24)/2014एस.जी.आई, दिनांक-10.09.2014 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-223/142/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-08.10.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय** अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, लखीमपुरखीरी हेतु संलग्न विवरण के अनुसार वस्तुओं/सामग्री के क्रय/व्यय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपया-10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि उ0प्र0 अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं विकास समिति' के नाम लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खातें में जमा की जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का लाभ नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को ही दिया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- गत वर्ष में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्षण की सूचना के साथ उपभोग प्रमाणपत्र यथासमय शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियो के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-02/2016/आर-3803(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेशसंख्या-02/2016/आर-3803/26-3-2015-14(33)/2005दिनांक-07-01-2016 का सलग्नक

क्र.स.	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	**ब्लैक बोर्ड ग्रीन**	12 नग	2400.00	28800.00
2	**ब्लैक बोर्ड प्रयोगशाला सफेद**	05 नग	2400.00	12000.00
3	**कम्प्यूटर प्रिन्टर (बड़ा)**	01 नग	55000.00	55000.00
4	**कुर्सी एवं मेज सेट**	45 नग	5550.00	249750.00
5	**स्टूल**	30 नग	950.00	28500.00
6	**प्रयोगशाला मेज**	04 नग	9600.00	38400.00
7	**साउन्ड सिस्टम मशीन (06 स्पीकर)**	01 नग	31550.00	31550.00
8	**टीचर्स अलमारी (खाने वाली)**	03 नग	25000.00	75000.00
9	**कैमरा डी.एस.एल.आर**	01 नग	35000.00	35000.00
10	**वाटर प्यूरिफायर (बड़ा)**	02 नग	35000.00	70000.00
11	**न्यूज पेपर स्टैन्ड**	01 नग	5500.00	5500.00
12	**मैगजीन स्टैन्ड**	01 नग	5500.00	5500.00
13	**डिसप्ले रैक**	01 नग	20000.00	20000.00
14	**कम्प्यूटर प्रोजेक्टर**	01 नग	35000.00	35000.00
15	**कम्प्यूटर**	02 नग	30000.00	60000.00
16	**टी.वी.एल.सी.डी.होम थियेटर**	02 नग	40000.00	80000.00
17	**पुताई छात्रावास (बाहर)**	-	-	170000.00
योग				10,00,000.00

(रूपया दस लाख मात्र)

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।